



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-2716800, 2716816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

क्रमांक: एफ.III(620)/रा.प्र.नि.मं./स्था./

दिनांक:

सुश्री शिवांगी शर्मा पुत्री श्री शिव नारायण शर्मा,
सी-32 गली न0 4 दयालपुर नॉर्थ दिल्ली,
रोल न0 1110002220,
दिल्ली-110090

विषय:- कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद के लिए अभ्यर्थिता/उम्मीदवारी/पात्रता निरस्त करने के संबंध में।

- सन्दर्भ:- (i) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सीधी भर्ती 2023-24
(ii) कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का परिपत्र दिनांक 28/08/2025
(iii) राज्य मण्डल का पत्र क्रमांक: एफ. III(620)/रा.प्र.नि.मं./स्था./2598 दिनांक 14/10/2025
(iv) कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सवाईमान सिंह चिकित्सालय, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ.2 (9) सामान्य/समाचि/2025/6443 दिनांक 30/10/2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य मण्डल द्वारा आयोजित सीधी भर्ती 2023-24 में आप द्वारा प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के आधार पर आपको कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र दिनांक 28/08/2025 के द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जाँच किये जाने के निर्देशों के क्रम में राज्य मण्डल के पत्र क्रमांक: एफ. III(620)/रा.प्र.नि.मं./स्था./2598 दिनांक 14/10/2025 द्वारा कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सवाईमान सिंह चिकित्सालय, जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कर दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवा कर मण्डल मुख्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सवाईमान सिंह चिकित्सालय, जयपुर के पत्र के संदर्भित पत्र द्वारा आपके दिव्यांगता का प्रतिशत 30% (तीस) पाया गया है जबकि नियमानुसार बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी में न्यूनतम अर्हता प्रतिशत 40% (प्रतिशत) होना अनिवार्य है।

अतः दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद के लिए पात्र नहीं होने के कारण कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद के लिए आपकी अभ्यर्थिता/उम्मीदवारी/पात्रता निरस्त की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

- 54 -

(कपिल चंद्रवाल)

सदस्य सचिव

क्रमांक: एफ.III(620)/रा.प्र.नि.मं./स्था./3746

दिनांक:

10/11/2025

प्रतिलिपि: निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रभारी अधिकारी आई.टी. शाखा को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र राज्य मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव